



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072025-264982
CG-DL-E-26072025-264982

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3355]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3432(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावाँ जिले में 35वें किमी पर पुल का निर्माण NH-220 के कि.मी. 34.553 से कि.मी. 34.921 तक के भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डीएलएओ सरायकेला खरसावाँ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

झारखंड राज्य के सराईकेला खरसावां जिले में 35वें किमी पर पुल का निर्माण NH-220 के कि.मी. 34.553 से कि.मी. 34.921 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड			जिले का नाम: सराईकेला खरसावां		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: गोर्बिंदपुर (राजनगर)					
गांव का नाम: छोटा सिजुलता					
1	148	सरकारी	पुरानी परती	0.4288 (एकर)	0.173533
2	149	निजी	दोन तीन	0.4409 (एकर)	0.1784298
3	150	निजी	दोन तीन	0.3612009 (एकर)	0.1461756
4	153	निजी	दोन तीन	0.2836 (एकर)	0.1147713
5	346	सरकारी	सडक	0.5958 (एकर)	0.241117
गांव का नाम: खोखरो					
6	172	सरकारी	नदी	0.2496 (एकर)	0.1010117
7	173	सरकारी	पुरानी परती	0.199 (एकर)	0.0805342
8	181	निजी	दोन तीन	0.1292 (एकर)	0.0522865
9	182	सरकारी	पत्थर	0.1304 (एकर)	0.0527722
10	184	निजी	दोन तीन	0.0603 (एकर)	0.0244031
11	185	सरकारी	सडक	0.3725008 (एकर)	0.1507487
12	186	निजी	पुरानी परती	0.1490001 (एकर)	0.0602995
13	196	निजी	गोड़ा दो	0.0772 (एकर)	0.0312424
14	236	सरकारी	सडक	0.1379 (एकर)	0.0558074
Total					1.4631324

[फा. सं. CENH/Land Acquisition-03/25/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3432(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, Construction of Bridges at 35th km of NH-220 in the stretch of land from Km. 34.553 to Km. 34.921 in the district of SERAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, DLAO Seraikella kharsawan in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Construction of Bridges at 35th km of NH-220 in the stretch of land from Km. 34.553 to Km. 34.921 in the district of SERAIKELA KHARSAWAN in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND			District: SERAIKELA KHARSAWAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gobindpur (Rajnagar)					
Village: Chota Sijulata					
1	148	Government	Purani Parti	0.4288 (Acre)	0.173533
2	149	Private	Don-iii	0.4409 (Acre)	0.1784298
3	150	Private	Don iii	0.3612009 (Acre)	0.1461756
4	153	Private	Don iii	0.2836 (Acre)	0.1147713
5	346	Government	Road	0.5958 (Acre)	0.241117
Village: Khokro					
6	172	Government	River	0.2496 (Acre)	0.1010117
7	173	Government	Purani Parati	0.199 (Acre)	0.0805342
8	181	Private	Don iii	0.1292 (Acre)	0.0522865
9	182	Government	Patthar	0.1304 (Acre)	0.0527722
10	184	Private	Don iii	0.0603 (Acre)	0.0244031
11	185	Government	Road	0.3725008 (Acre)	0.1507487

12	186	Private	Purani Parati	0.1490001 (Acre)	0.0602995
13	196	Private	Godda ii	0.0772 (Acre)	0.0312424
14	236	Government	Raod	0.1379 (Acre)	0.0558074
Total					1.4631324

[F. No. CENH/Land Acquisition-03/25/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director